

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



एस.जी.-डी.एल.-सा.-28082021-229293
SG-DL-W-28082021-229293

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 08] दिल्ली, अगस्त 20—अगस्त 26, 2021, बृहस्पतिवार / श्रावण 29—भाद्र 4, 1943 [रा.रा.रा.क्षे.दि.सं. 148,149
No. 08] DELHI, AUGUST 20—AUGUST 26, 2021, THURSDAY/ SRAVANA 29—BHADRA 4, 1943 [N.C.T.D. No. 148,149

भाग II खण्ड 1
PART II—Sec. 1

न्यायिक और मजिस्ट्रेरी मामलों पर अधिसूचनाएं और आदेश, उच्च न्यायालय की अधिसूचनाएं और भारत के निर्वाचन
आयोग की विधिक अधिसूचनाओं तथा अन्य निर्वाचन अधिसूचनाओं का पुनः प्रकाशन
Notifications and Orders on Judicial and Magisterial matters, reproduction of High Court Notifications and
Statutory Notifications of the Election Commission of India and other Election Notifications

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली
अधिसूचना

दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2020

सं. 481/स्था.-I/ई.-2/डी.एच.सी.—माननीय मुख्य न्यायाधीश इस न्यायालय की स्थापना में निम्नलिखित नियुक्तियां सहर्ष
करते हैं:-

क्रम सं.	अधिकारी का नाम तथा धारित पद	पद जिस पर नियुक्ति हुई	टिप्पणी
1.	श्री कमल के. विशम्भू, उप निबंधक	वेतन मैट्रिक्स के स्तर 14 में अस्थायी संयुक्त निबंधक (सातवें वेतन आयोग के अनुसार)	दिनांक 17.12.2020 से आगामी आदेशों तक श्री मनोज कुमार वर्मा, संयुक्त निबंधक की दिनांक 01.12.2020 से निबंधक के रूप में पदोन्नति के परिणामस्वरूप उपलब्ध हुए संयुक्त

			निबंधक के रिक्त पद के प्रति ।
2.	सुश्री अनीता मल्होत्रा, उप निबंधक	वेतन मैट्रिक्स के स्तर 14 में अस्थायी संयुक्त निबंधक (सातवें वेतन आयोग के अनुसार)	दिनांक 17.12.2020 से आगामी आदेशों तक संयुक्त निबंधक के नव निर्मित पद के प्रति ।
3.	श्री हेम चन्द्र पाण्डेय, उप निबंधक	वेतन मैट्रिक्स के स्तर 14 में अस्थायी संयुक्त निबंधक (सातवें वेतन आयोग के अनुसार)	दिनांक 17.12.2020 से आगामी आदेशों तक संयुक्त निबंधक के नव निर्मित पद के प्रति ।
4.	सुश्री गीता गोपीनाथन, उप निबंधक	वेतन मैट्रिक्स के स्तर 14 में अस्थायी संयुक्त निबंधक (सातवें वेतन आयोग के अनुसार)	दिनांक 17.12.2020 से आगामी आदेशों तक संयुक्त निबंधक के नव निर्मित पद के प्रति ।
5.	श्री किशोर कुमार, उप निबंधक	वेतन मैट्रिक्स के स्तर 14 में अस्थायी संयुक्त निबंधक (सातवें वेतन आयोग के अनुसार)	दिनांक 17.12.2020 से आगामी आदेशों तक संयुक्त निबंधक के नव निर्मित पद के प्रति ।
6.	सुश्री संध्या कपूर, उप निबंधक	वेतन मैट्रिक्स के स्तर 14 में अस्थायी संयुक्त निबंधक (सातवें वेतन आयोग के अनुसार)	दिनांक 17.12.2020 से आगामी आदेशों तक संयुक्त निबंधक के नव निर्मित पद के प्रति ।
7.	श्री राम सिंह, उप निबंधक	वेतन मैट्रिक्स के स्तर 14 में अस्थायी संयुक्त निबंधक (सातवें वेतन आयोग के अनुसार)	दिनांक 17.12.2020 से आगामी आदेशों तक श्री सुनील कुमार कौशल, संयुक्त निबंधक की दिनांक 08.12.2020 से निबंधक के रूप में पदोन्नति के परिणामस्वरूप उपलब्ध हुए संयुक्त निबंधक के रिक्त पद के प्रति ।

टिप्पणी : उपरोक्त नियुक्तियां (i) एस.एल.पी. (सिविल) सं. 20362/2016 शीर्षक “रविंदर पाहुजा एवं अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य”, (ii) एस.एल.पी. (सिविल) सं. 19374/2016 शीर्षक “के.के. शर्मा व अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य”, (iii) एस.एल.पी. (सिविल) सं. 27418/2016 शीर्षक “दिनेश मनचंदा व अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य”, (iv) एस.एल.पी. (सिविल) सं. 22722/2016 शीर्षक “प्रतिमा रानी गुप्ता व अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य” तथा (v) रिट याचिका (सिविल) सं. 8016/2016 शीर्षक “अतुल कुमार शर्मा बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य” के परिणाम के अध्याधीन हैं तथा इस शर्त के भी अध्याधीन कि उपरोक्त निर्णयों के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप यदि उनका वरिष्ठता स्तर अवनत होता है तो वे अपना स्थान अपने से ऊपर आसीन अधिकारी(गण) हेतु छोड़ने के लिए बाध्य होंगे एवं यदि कोई रिक्ति उपलब्ध नहीं होती है तो वे प्रत्यावर्तित हो जायेंगे ।

मनोज जैन, महा निबंधक

HIGH COURT OF DELHI : NEW DELHI

NOTIFICATION

Delhi, the 18th December, 2020

No.481/Estt.-I/E-2/DHC.— Hon’ble the Chief Justice has been pleased to make the following appointments on the establishment of this Court:-

Sr. No.	Name of the officer & Post held	Post to which appointed	Remarks
1.	Mr. Kamal K.Bishambu, Deputy Registrar	Temporary Joint Registrar in the Level 14 of Pay Matrix (as per 7 th Pay Commission)	With effect from 17.12.2020 till further orders against the vacant post of Joint Registrar which became available consequent upon promotion of Mr. Manoj Kumar Verma, Joint Registrar as Registrar w.e.f 01.12.2020.
2.	Ms. Anita Malhotra,	Temporary Joint Registrar in the Level 14 of Pay Matrix	With effect from 17.12.2020 till further orders against one of the

	Deputy Registrar	(as per 7 th Pay Commission)	newly created post of Joint Registrar.
3.	Mr. Hem Chandra Pandey, Deputy Registrar	Temporary Joint Registrar in the Level 14 of Pay Matrix (as per 7 th Pay Commission)	With effect from 17.12.2020 till further orders against one of the newly created post of Joint Registrar.
4.	Ms. Geetha Gopinathan, Deputy Registrar	Temporary Joint Registrar in the Level 14 of Pay Matrix (as per 7 th Pay Commission)	With effect from 17.12.2020 till further orders against one of the newly created post of Joint Registrar.
5.	Mr. Kishor Kumar, Deputy Registrar	Temporary Joint Registrar in the Level 14 of Pay Matrix (as per 7 th Pay Commission)	With effect from 17.12.2020 till further orders against one of the newly created post of Joint Registrar.
6.	Ms. Sandhya Kapoor, Deputy Registrar	Temporary Joint Registrar in the Level 14 of Pay Matrix (as per 7 th Pay Commission)	With effect from 17.12.2020 till further orders against one of the newly created post of Joint Registrar.
7.	Mr. Ram Singh, Deputy Registrar	Temporary Joint Registrar in the Level 14 of Pay Matrix (as per 7 th Pay Commission)	With effect from 17.12.2020 till further orders against the vacant post of Joint Registrar which became available consequent upon promotion of Mr. Sunil Kumar Koushal, Joint Registrar as Registrar w.e.f 08.12.2020.

NOTE: The above appointments are subject to outcome of (i) SLP (Civil) No. 20362/2016 titled “*Ravinder Pahuja & Ors. Vs. High Court of Delhi & Ors.*”, (ii) SLP (Civil) No. 19374/2016 titled “*K.K.Sharma & Ors. Vs. High Court of Delhi & Ors.*”, (iii) SLP (Civil) No. 27418/2016 titled “*Dinesh Manchanda & Ors. Vs. High Court of Delhi & Ors.*”, (iv) SLP (Civil) No. 22722/2016 titled “*Pratima Rani Gupta & Others Vs. High Court of Delhi and Ors.*” and (v) W.P. (C) No.8016/2016 titled “*Atul Kumar Sharma Vs. Delhi High Court and Anr.*” and also subject to the condition that in case as a result of implementation of above decisions, their seniority position is depressed, they will be liable to yield their position to the officer(s) placed senior to them and in case no vacancy is available, they shall stand reverted.

MANOJ JAIN, Registrar General

अधिसूचना

दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2020

सं. 482/स्था.-I/ई.-2/डी.एच.सी..—माननीय मुख्य न्यायाधीश इस न्यायालय की स्थापना में निम्नलिखित नियुक्तियां सहर्ष करते हैं:-

क्रम सं.	अधिकारी का नाम तथा धारित पद	पद जिस पर नियुक्ति हुई	टिप्पणी
1.	सुश्री साधना जाड़िया, सहायक निबंधक (वर्तमान में प्रतिनियुक्ति पर)	वेतन मैट्रिक्स के स्तर 13 में प्रोफोर्मा आधार पर अस्थायी उप निबंधक (सातवें वेतन आयोग के अनुसार)	दिनांक 17.12.2020 से आगामी आदेशों तक श्री कमल के. बिशम्बर, उप निबंधक की संयुक्त निबंधक के रूप में पदोन्नति के परिणामस्वरूप उपलब्ध हुए रिक्त पद के प्रति।
2.	सुश्री शकुन आनंद, सहायक निबंधक	वेतन मैट्रिक्स के स्तर 13 में अस्थायी उप निबंधक (सातवें वेतन आयोग के अनुसार)	दिनांक 17.12.2020 से आगामी आदेशों तक सुश्री अनीता मल्होत्रा, उप निबंधक की संयुक्त निबंधक के रूप में पदोन्नति के परिणामस्वरूप उपलब्ध हुए रिक्त पद के प्रति।
3.	सुश्री बिंद्रा, सहायक निबंधक	वेतन मैट्रिक्स के स्तर 13 में अस्थायी उप निबंधक (सातवें वेतन आयोग के अनुसार)	दिनांक 17.12.2020 से आगामी आदेशों तक श्री हेम चन्द्र पाण्डेय, उप निबंधक की संयुक्त निबंधक के रूप में पदोन्नति के परिणामस्वरूप उपलब्ध हुए रिक्त पद के प्रति।

4.	श्री सुनील लखीना, सहायक निबंधक	वेतन मैट्रिक्स के स्तर 13 में अस्थायी उप निबंधक (सातवें वेतन आयोग के अनुसार)	दिनांक 17.12.2020 से आगामी आदेशों तक सुश्री गीता गोपीनाथन, उप निबंधक की संयुक्त निबंधक के रूप में पदोन्नति के परिणामस्वरूप उपलब्ध हुए रिक्त पद के प्रति।
5.	सुश्री उमा शर्मा, सहायक निबंधक	वेतन मैट्रिक्स के स्तर 13 में अस्थायी उप निबंधक (सातवें वेतन आयोग के अनुसार)	दिनांक 17.12.2020 से आगामी आदेशों तक श्री किशोर कुमार, उप निबंधक की संयुक्त निबंधक के रूप में पदोन्नति के परिणामस्वरूप उपलब्ध हुए रिक्त पद के प्रति।
6.	सुश्री निशा शर्मा-II, सहायक निबंधक	वेतन मैट्रिक्स के स्तर 13 में अस्थायी उप निबंधक (सातवें वेतन आयोग के अनुसार)	दिनांक 17.12.2020 से आगामी आदेशों तक सुश्री संध्या कपूर, उप निबंधक की संयुक्त निबंधक के रूप में पदोन्नति के परिणामस्वरूप उपलब्ध हुए रिक्त पद के प्रति।
7.	श्री मनोज कपूर, सहायक निबंधक	वेतन मैट्रिक्स के स्तर 13 में अस्थायी उप निबंधक (सातवें वेतन आयोग के अनुसार)	दिनांक 17.12.2020 से आगामी आदेशों तक श्री राम सिंह, उप निबंधक की संयुक्त निबंधक के रूप में पदोन्नति के परिणामस्वरूप उपलब्ध हुए रिक्त पद के प्रति।
8.	श्री सत्य देव प्रजापति, सहायक निबंधक	वेतन मैट्रिक्स के स्तर 13 में अस्थायी उप निबंधक (सातवें वेतन आयोग के अनुसार)	दिनांक 17.12.2020 से आगामी आदेशों तक उप निबंधक के नव निर्मित पद के प्रति।
9.	श्री वेद प्रकाश शर्मा, सहायक निबंधक	वेतन मैट्रिक्स के स्तर 13 में अस्थायी उप निबंधक (सातवें वेतन आयोग के अनुसार)	दिनांक 17.12.2020 से आगामी आदेशों तक उप निबंधक के नव निर्मित पद के प्रति।
10.	श्री जावेद खान, सहायक निबंधक	वेतन मैट्रिक्स के स्तर 13 में अस्थायी उप निबंधक (सातवें वेतन आयोग के अनुसार)	दिनांक 17.12.2020 से आगामी आदेशों तक उप निबंधक के नव निर्मित पद के प्रति।
11.	श्री सुरेंद्र पाल, सहायक निबंधक	वेतन मैट्रिक्स के स्तर 13 में अस्थायी उप निबंधक (सातवें वेतन आयोग के अनुसार)	दिनांक 17.12.2020 से आगामी आदेशों तक उप निबंधक के नव निर्मित पद के प्रति।
12.	श्री सतीश गुसाई, सहायक निबंधक	वेतन मैट्रिक्स के स्तर 13 में अस्थायी उप निबंधक (सातवें वेतन आयोग के अनुसार)	दिनांक 17.12.2020 से आगामी आदेशों तक उप निबंधक के नव निर्मित पद के प्रति।
13.	श्री रोहताश सिंह, सहायक निबंधक	वेतन मैट्रिक्स के स्तर 13 में स्थानापन्न उप निबंधक (सातवें वेतन आयोग के अनुसार)	दिनांक 17.12.2020 से आगामी आदेशों तक सुश्री साधना जाडिया के स्थान पर जो प्रोफोर्मा आधार पर उप निबंधक के पद पर पदोन्नत हुई हैं तथा प्रतिनियुक्ति पर हैं।

टिप्पणियाँ :

1. उपरोक्त नियुक्तियाँ (i) एस.एल.पी. (सिविल) सं. 20362/2016 शीर्षक "रविंदर पाहुजा एवं अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य", (ii) एस.एल.पी. (सिविल) सं. 19374/2016 शीर्षक "के.के. शर्मा व अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य", (iii) एस.एल.पी. (सिविल) सं. 27418/2016 शीर्षक "दिनेश मनचंदा व अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य", (iv) एस.एल.पी. (सिविल) सं. 22722/2016 शीर्षक "प्रतिमा रानी गुप्ता व अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य" तथा (v) रिट याचिका (सिविल) सं. 8016/2016 शीर्षक "अतुल कुमार शर्मा बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य" के परिणाम के अध्यक्षीन हैं तथा इस शर्त के भी अध्यक्षीन कि उपरोक्त निर्णयों के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप यदि उनका वरिष्ठता स्तर अवनत होता है तो वे अपना स्थान अपने से ऊपर आसीन अधिकारी(गण) हेतु छोड़ने के लिए बाध्य होंगे एवं यदि कोई रिक्ति उपलब्ध नहीं होती है तो वे प्रत्यावर्तित हो जायेंगे।

2. श्री रोहताश सिंह की स्थानापन्न उप निबंधक के रूप में नियुक्ति, इस शर्त के भी अधीन है कि सुश्री साधना जाडिया के प्रतिनियुक्ति से इस न्यायालय में प्रत्यावर्तन पर, यदि उप निबंधक की कोई रिक्ति उपलब्ध न हुई तो वह सहायक निबंधक के पद पर प्रत्यावर्तित हो जायेंगे।

वंदना कैरोन, संयुक्त निबंधक (स्थापना-I)

NOTIFICATION

Delhi, the 18th December, 2020

No.482/Estt.-I/E-2/DHC.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to make the following appointments on the establishment of this Court:-

Sr. No.	Name of the officer & Post held	Post to which appointed	Remarks
1.	Ms. Sadhana Jadia, Assistant Registrar (Presently on deputation)	Temporary Deputy Registrar in the Level 13 of Pay Matrix (as per 7 th Pay Commission) on proforma basis.	With effect from 17.12.2020 till further orders against the vacancy arising upon promotion of Mr. Kamal K. Bishambu, Deputy Registrar as Joint Registrar.
2.	Ms. Shakun Anand, Assistant Registrar	Temporary Deputy Registrar in the Level 13 of Pay Matrix (as per 7 th Pay Commission)	With effect from 17.12.2020 till further orders against the vacancy arising upon promotion of Ms. Anita Malhotra, Deputy Registrar as Joint Registrar.
3.	Ms. Bindra, Assistant Registrar	Temporary Deputy Registrar in the Level 13 of Pay Matrix (as per 7 th Pay Commission)	With effect from 17.12.2020 till further orders against the vacancy arising upon promotion of Mr. Hem Chandra Pandey, Deputy Registrar as Joint Registrar.
4.	Mr. Sunil Lakhina, Assistant Registrar	Temporary Deputy Registrar in the Level 13 of Pay Matrix (as per 7 th Pay Commission)	With effect from 17.12.2020 till further orders against the vacancy arising upon promotion of Ms. Geetha Gopinathan, Deputy Registrar as Joint Registrar.
5.	Ms. Uma Sharma, Assistant Registrar	Temporary Deputy Registrar in the Level 13 of Pay Matrix (as per 7 th Pay Commission)	With effect from 17.12.2020 till further orders against the vacancy arising upon promotion of Mr. Kishor Kumar, Deputy Registrar as Joint Registrar.
6.	Ms. Nisha Sharma-II, Assistant Registrar	Temporary Deputy Registrar in the Level 13 of Pay Matrix (as per 7 th Pay Commission)	With effect from 17.12.2020 till further orders against the vacancy arising upon promotion of Ms. Sandhya Kapoor, Deputy Registrar as Joint Registrar.
7.	Mr. Manoj Kapoor, Assistant Registrar	Temporary Deputy Registrar in the Level 13 of Pay Matrix (as per 7 th Pay Commission)	With effect from 17.12.2020 till further orders against the vacancy arising upon promotion of Mr. Ram Singh, Deputy Registrar as Joint Registrar.
8.	Mr. Satya Dev Prajapati, Assistant Registrar	Temporary Deputy Registrar in the Level 13 of Pay Matrix (as per 7 th Pay Commission)	With effect from 17.12.2020 till further orders against one of the newly created posts of Deputy Registrar.
9.	Mr. Ved Prakash Sharma, Assistant Registrar	Temporary Deputy Registrar in the Level 13 of Pay Matrix (as per 7 th Pay Commission)	With effect from 17.12.2020 till further orders against one of the newly created posts of Deputy Registrar.
10.	Mr. Javed Khan, Assistant Registrar	Temporary Deputy Registrar in the Level 13 of Pay Matrix (as per 7 th Pay Commission)	With effect from 17.12.2020 till further orders against one of the newly created posts of Deputy Registrar.

11.	Mr. Surender Pal, Assistant Registrar	Temporary Deputy Registrar in the Level 13 of Pay Matrix (as per 7 th Pay Commission)	With effect from 17.12.2020 till further orders against one of the newly created posts of Deputy Registrar.
12.	Mr. Satish Gusain, Assistant Registrar	Temporary Deputy Registrar in the Level 13 of Pay Matrix (as per 7 th Pay Commission)	With effect from 17.12.2020 till further orders against one of the newly created posts of Deputy Registrar.
13.	Mr. Rohtash Singh, Assistant Registrar	Officiating Deputy Registrar in the Level 13 of Pay Matrix (as per 7 th Pay Commission)	With effect from 17.12.2020 till further orders vice Ms. Sadhana Jadia, who has been promoted as Deputy Registrar, on proforma basis and is on deputation.

NOTE:

1. The above appointments are subject to outcome of (i) SLP (Civil) No. 20362/2016 titled "*Ravinder Pahuja & Ors. Vs. High Court of Delhi & Ors.*", (ii) SLP (Civil) No. 19374/2016 titled "*K.K.Sharma & Ors. Vs. High Court of Delhi & Ors.*", (iii) SLP (Civil) No. 27418/2016 titled "*Dinesh Manchanda & Ors. Vs. High Court of Delhi & Ors.*", (iv) SLP (Civil) No. 22722/2016 titled "*Pratima Rani Gupta & Others Vs High Court of Delhi and Ors.*" and (v) W.P. (C) No. 8016/2016 titled "*Atul Kumar Sharma Vs. Delhi High Court and Anr.*", and also subject to the condition that in case as a result of implementation of above decisions their seniority position is depressed, they will be liable to yield their position to the officer(s)/official(s) placed senior to them and in case no vacancy is available, they will stand reverted.

2. The appointment of Mr. Rohtash Singh, as officiating Deputy Registrar, is also subject to the condition that on repatriation of Ms. Sadhana Jadia from deputation to this Court, if no vacancy of Deputy Registrar is available, he will stand reverted to the post of Assistant Registrar.

VANDANA KAIRON, Jt. Registrar (Estt.I)

अधिसूचना

दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2020

सं. 483/स्था.-I/ई.-2/डी.एच.सी.—इस न्यायालय की अधिसूचना सं. 468/स्थापना.I/ई.-2/डीएचसी दिनांक 02.11.2020 की निरंतरता में माननीय मुख्य न्यायाधीश इस न्यायालय की स्थापना में निम्नलिखित नियुक्तियां सहर्ष करते हैं:-

क्रम सं.	अधिकारी का नाम तथा धारित पद	पद जिस पर नियुक्ति हुई	टिप्पणी
1.	श्री सुनील दत्त शर्मा, स्थानापन्न सहायक निबंधक	वेतन मैट्रिक्स के स्तर 12 में अस्थायी सहायक निबंधक (सातवें वेतन आयोग के अनुसार)	दिनांक 17.12.2020 से आगामी आदेशों तक सुश्री साधना जाड़िया, सहायक निबंधक की प्रोफोर्मा के आधार पर उप निबंधक के रूप में पदोन्नति के परिणामस्वरूप उपलब्ध हुई रिक्ति के प्रति।
2.	श्री विजय रत्न सुन्दरियाल, प्रशा. अधिकारी (न्यायिक)	वेतन मैट्रिक्स के स्तर 12 में अस्थायी सहायक निबंधक (सातवें वेतन आयोग के अनुसार)	दिनांक 17.12.2020 से आगामी आदेशों तक सुश्री शकुन आनंद, सहायक निबंधक की उप निबंधक के रूप में पदोन्नति के परिणामस्वरूप उपलब्ध हुई रिक्ति के प्रति।
3.	श्री वेद प्रकाश शर्मा, प्रशा. अधिकारी (न्यायिक)	वेतन मैट्रिक्स के स्तर 12 में अस्थायी सहायक निबंधक (सातवें वेतन आयोग के अनुसार)	दिनांक 17.12.2020 से आगामी आदेशों तक सुश्री बिंद्रा, सहायक निबंधक की उप निबंधक के रूप में पदोन्नति के परिणामस्वरूप उपलब्ध हुई रिक्ति के प्रति।
4.	श्री तुषार कांति पाण्डेय,	वेतन मैट्रिक्स के स्तर 12 में अस्थायी सहायक निबंधक (सातवें वेतन आयोग के अनुसार)	दिनांक 17.12.2020 से आगामी आदेशों तक श्री सुनील लखीना,

	निजी सचिव	के अनुसार)	सहायक निबंधक की उप निबंधक के रूप में पदोन्नति के परिणामस्वरूप उपलब्ध हुई रिक्ति के प्रति।
5.	सुश्री रेखा गर्ग, प्रशा. अधिकारी (न्यायिक)	वेतन मैट्रिक्स के स्तर 12 में अस्थायी सहायक निबंधक (सातवें वेतन आयोग के अनुसार)	दिनांक 17.12.2020 से आगामी आदेशों तक सुश्री उमा शर्मा, सहायक निबंधक की उप निबंधक के रूप में पदोन्नति के परिणामस्वरूप उपलब्ध हुई रिक्ति के प्रति।
6.	सुश्री मंजू भट्ट, निजी सचिव	वेतन मैट्रिक्स के स्तर 12 में अस्थायी सहायक निबंधक (सातवें वेतन आयोग के अनुसार)	दिनांक 17.12.2020 से आगामी आदेशों तक सुश्री निशा शर्मा-II, सहायक निबंधक की उप निबंधक के रूप में पदोन्नति के परिणामस्वरूप उपलब्ध हुई रिक्ति के प्रति।
7.	श्री सुरेंद्र कुमार भडोला, कोर्ट मास्टर	वेतन मैट्रिक्स के स्तर 12 में अस्थायी सहायक निबंधक (सातवें वेतन आयोग के अनुसार)	दिनांक 17.12.2020 से आगामी आदेशों तक श्री मनोज कपूर, सहायक निबंधक की उप निबंधक के रूप में पदोन्नति के परिणामस्वरूप उपलब्ध हुई रिक्ति के प्रति।
8.	श्री कपिल शर्मा, निजी सचिव	वेतन मैट्रिक्स के स्तर 12 में अस्थायी सहायक निबंधक (सातवें वेतन आयोग के अनुसार)	दिनांक 17.12.2020 से आगामी आदेशों तक श्री सत्य देव प्रजापति, सहायक निबंधक की उप निबंधक के रूप में पदोन्नति के परिणामस्वरूप उपलब्ध हुई रिक्ति के प्रति।
9.	श्री लखविंदर सिंह, प्रशा. अधिकारी (न्यायिक)	वेतन मैट्रिक्स के स्तर 12 में अस्थायी सहायक निबंधक (सातवें वेतन आयोग के अनुसार)	दिनांक 17.12.2020 से आगामी आदेशों तक श्री वेद प्रकाश शर्मा, सहायक निबंधक की उप निबंधक के रूप में पदोन्नति के परिणामस्वरूप उपलब्ध हुई रिक्ति के प्रति।
10.	श्री कमल कृष्ण अग्निहोत्री, कोर्ट मास्टर	वेतन मैट्रिक्स के स्तर 12 में आधार पर अस्थायी सहायक निबंधक (सातवें वेतन आयोग के अनुसार)	दिनांक 17.12.2020 से आगामी आदेशों तक श्री जावेद खान, सहायक निबंधक की उप निबंधक के रूप में पदोन्नति के परिणामस्वरूप उपलब्ध हुई रिक्ति के प्रति।
11.	सुश्री प्रेम बाला छाबड़ा, निजी सचिव	वेतन मैट्रिक्स के स्तर 12 में अस्थायी सहायक निबंधक (सातवें वेतन आयोग के अनुसार)	दिनांक 17.12.2020 से आगामी आदेशों तक श्री सुरेंद्र पाल, सहायक निबंधक की उप निबंधक के रूप में पदोन्नति के परिणामस्वरूप उपलब्ध हुई रिक्ति के प्रति।
12.	श्री अनिल कुमार सिंह, प्रशा. अधिकारी (न्यायिक)	वेतन मैट्रिक्स के स्तर 12 में अस्थायी सहायक निबंधक (सातवें वेतन आयोग के अनुसार)	दिनांक 17.12.2020 से आगामी आदेशों तक श्री सतीश गुसाई, सहायक निबंधक की उप निबंधक के रूप में पदोन्नति के परिणामस्वरूप उपलब्ध हुई रिक्ति के प्रति।
13.	श्री पंकज कुमार, निजी सचिव	वेतन मैट्रिक्स के स्तर 12 में अस्थायी सहायक निबंधक (सातवें वेतन आयोग के अनुसार)	दिनांक 17.12.2020 से आगामी आदेशों तक श्री रोहताश सिंह, सहायक निबंधक की उप निबंधक के रूप में पदोन्नति के परिणामस्वरूप उपलब्ध हुई रिक्ति के प्रति।
14.	श्री विनय शर्मा,	वेतन मैट्रिक्स के स्तर 12 में अस्थायी	दिनांक 17.12.2020 से आगामी

	कोर्ट मास्टर	सहायक निबंधक (सातवें वेतन आयोग के अनुसार)	आदेशों तक सहायक निबंधक के नव निर्मित पद के प्रति ।
15.	श्री धर्मेन्द्र कुमार बैसला, निजी सचिव	वेतन मैट्रिक्स के स्तर 12 में अस्थायी सहायक निबंधक (सातवें वेतन आयोग के अनुसार)	दिनांक 17.12.2020 से आगामी आदेशों तक सहायक निबंधक के नव निर्मित पद के प्रति ।
16.	सुश्री वीणा कुमार, प्रशा. अधिकारी (न्यायिक)	वेतन मैट्रिक्स के स्तर 12 में अस्थायी सहायक निबंधक (सातवें वेतन आयोग के अनुसार)	दिनांक 17.12.2020 से आगामी आदेशों तक सहायक निबंधक के नव निर्मित पद के प्रति ।
17.	श्री महेन्द्र प्रताप सिंह बिष्ट, कोर्ट मास्टर	वेतन मैट्रिक्स के स्तर 12 में अस्थायी सहायक निबंधक (सातवें वेतन आयोग के अनुसार)	दिनांक 17.12.2020 से आगामी आदेशों तक सहायक निबंधक के नव निर्मित पद के प्रति ।

टिप्पणियाँ:

1. श्री सुनील दत्त शर्मा की स्थानापन्न सहायक निबंधक के रूप में नियुक्ति पर अधिसूचना सं. 468/स्थापना-I/ई 2/डीएचसी दिनांकित 02.11.2020 द्वारा लगाई गई शर्त सं. 1 हटाई जाती है।
2. क्रम सं. 17 पर श्री महेन्द्र प्रताप सिंह बिष्ट, कोर्ट मास्टर की नियुक्ति, इस शर्त के भी अध्यक्षीन है कि सुश्री साधना जाड़िया के प्रतिनियुक्ति से इस न्यायालय में प्रत्यावर्तन पर यदि श्री रोहताश सिंह, उप निबंधक से सहायक निबंधक के पद पर प्रत्यावर्तित होते हैं तथा सहायक निबंधक की कोई रिक्ति उपलब्ध न होने की दशा में, वे कोर्ट मास्टर के पद पर प्रत्यावर्तित हो जायेंगे।
3. उपरोक्त नियुक्तियां (i) एस.एल.पी. (सिविल) सं. 20362/2016 शीर्षक "रविंदर पाहुजा एवं अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य", (ii) एस.एल.पी. (सिविल) सं. 19374/2016 शीर्षक "के.के. शर्मा व अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य", (iii) एस.एल.पी. (सिविल) सं. 27418/2016 शीर्षक "दिनेश मनचंदा व अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य", (iv) एस.एल.पी. (सिविल) सं. 22722/2016 शीर्षक "प्रतिमा रानी गुप्ता व अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य" तथा (v) रिट याचिका (सिविल) सं. 8016/2016 शीर्षक "अतुल कुमार शर्मा बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य" के परिणाम के अध्यक्षीन हैं तथा इस शर्त के भी अध्यक्षीन कि उपरोक्त निर्णयों के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप यदि उनका वरिष्ठता स्तर अवनत होता है तो वे अपना स्थान अपने से ऊपर आसीन अधिकारी (गण)/कर्मचारी(गण) हेतु छोड़ने के लिए बाध्य होंगे एवं यदि कोई रिक्ति उपलब्ध नहीं होती है तो वे प्रत्यावर्तित हो जायेंगे।

वंदना कैरोन, संयुक्त निबंधक (स्थापना-I)

NOTIFICATION

Delhi, the 18th December, 2020

No. 483 /Estt.I/E-2/DHC.—In continuation to this Court's Notification No. 468/Estt.I/E-2/DHC dated 02.11.2020, Hon'ble the Chief Justice has been pleased to make the following appointments on the establishment of this Court:-

S.No.	Name of the officer & Post held	Post to which appointed	Remarks
1.	Mr. Sunil Dutt Sharma, Officiating Assistant Registrar	Temporary Assistant Registrar in the Level 12 of Pay Matrix (as per 7 th Pay Commission)	With effect from 17.12.2020 till further orders against the vacancy arising upon proforma promotion of Ms. Sadhana Jadia, Assistant Registrar as Deputy Registrar.
2.	Mr. Vijay Rattan Sundriyal, Admn. Officer (Judl.)	Temporary Assistant Registrar in the Level 12 of Pay Matrix (as per 7 th Pay Commission)	With effect from 17.12.2020 till further orders against the vacancy arising upon promotion of Ms. Shakun Anand, Assistant Registrar as Deputy Registrar.
3.	Mr. Ved Prakash Sharma, Admn. Officer (Judl.)	Temporary Assistant Registrar in the Level 12 of Pay Matrix (as per 7 th Pay Commission)	With effect from 17.12.2020 till further orders against the vacancy arising upon promotion of Ms. Bindra, Assistant Registrar as Deputy Registrar.
4.	Mr. Tushar Kanti Pandey,	Temporary Assistant Registrar in the Level 12 of	With effect from 17.12.2020 till further orders against the vacancy arising upon promotion of

	Private Secretary	Pay Matrix (as per 7 th Pay Commission)	Mr. Sunil Lakhina, Assistant Registrar as Deputy Registrar.
5.	Ms. Rekha Garg, Admn. Officer (Judl.)	Temporary Assistant Registrar in the Level 12 of Pay Matrix (as per 7 th Pay Commission)	With effect from 17.12.2020 till further orders against the vacancy arising upon promotion of Ms. Uma Sharma, Assistant Registrar as Deputy Registrar.
6.	Ms. Manju Bhatt, Private Secretary	Temporary Assistant Registrar in the Level 12 of Pay Matrix (as per 7 th Pay Commission)	With effect from 17.12.2020 till further orders against the vacancy arising upon promotion of Ms. Nisha Sharma-II, Assistant Registrar as Deputy Registrar.
7.	Mr. Surender Kumar Bhadola, Court Master	Temporary Assistant Registrar in the Level 12 of Pay Matrix (as per 7 th Pay Commission)	With effect from 17.12.2020 till further orders against the vacancy arising upon promotion of Mr. Manoj Kapoor, Assistant Registrar as Deputy Registrar.
8.	Mr. Kapil Sharma, Private Secretary	Temporary Assistant Registrar in the Level 12 of Pay Matrix (as per 7 th Pay Commission)	With effect from 17.12.2020 till further orders against the vacancy arising upon promotion of Mr. Satya Dev Prajapati, Assistant Registrar as Deputy Registrar.
9.	Mr. Lakhvinder Singh, Admn. Officer (Judl.)	Temporary Assistant Registrar in the Level 12 of Pay Matrix (as per 7 th Pay Commission)	With effect from 17.12.2020 till further orders against the vacancy arising upon promotion of Mr. Ved Prakash Sharma, Assistant Registrar as Deputy Registrar.
10.	Mr. Kamal Krishna Agnihotri, Court Master	Temporary Assistant Registrar in the Level 12 of Pay Matrix (as per 7 th Pay Commission)	With effect from 17.12.2020 till further orders against the vacancy arising upon promotion of Mr. Javed Khan, Assistant Registrar as Deputy Registrar.
11.	Ms. Prem Bala Chhabra, Private Secretary	Temporary Assistant Registrar in the Level 12 of Pay Matrix (as per 7 th Pay Commission)	With effect from 17.12.2020 till further orders against the vacancy arising upon promotion of Mr. Surender Pal, Assistant Registrar as Deputy Registrar.
12.	Mr. Anil Kumar Singh, Admn. Officer (Judl.)	Temporary Assistant Registrar in the Level 12 of Pay Matrix (as per 7 th Pay Commission)	With effect from 17.12.2020 till further orders against the vacancy arising upon promotion of Mr. Satish Gusain, Assistant Registrar as Deputy Registrar.
13.	Mr. Pankaj Kumar, Private Secretary	Temporary Assistant Registrar in the Level 12 of Pay Matrix (as per 7 th Pay Commission)	With effect from 17.12.2020 till further orders against the vacancy arising upon promotion of Mr. Rohtash Singh, Assistant Registrar as Deputy Registrar.
14.	Mr. Vinay Sharma, Court Master	Temporary Assistant Registrar in the Level 12 of Pay Matrix (as per 7 th Pay Commission)	With effect from 17.12.2020 till further orders against one of the newly created posts of Assistant Registrar.
15.	Mr. Dharmender Kumar Bainsla, Private Secretary	Temporary Assistant Registrar in the Level 12 of Pay Matrix (as per 7 th Pay Commission)	With effect from 17.12.2020 till further orders against one of the newly created posts of Assistant Registrar.
16.	Ms. Veena Kumar, Admn. Officer (Judl.)	Temporary Assistant Registrar in the Level 12 of Pay Matrix (as per 7 th Pay Commission)	With effect from 17.12.2020 till further orders against one of the newly created posts of Assistant Registrar.
17.	Mr. Mahender Partap Singh Bisht, Court Master	Temporary Assistant Registrar in the Level 12 of Pay Matrix (as per 7 th Pay Commission)	With effect from 17.12.2020 till further orders against one of the newly created posts of Assistant Registrar.

NOTES: 1. The Condition No.1 imposed on the appointment of Mr. Sunil Dutt Sharma as Officiating Assistant Registrar vide Notification No. 468/Estt.I/E-2/DHC dated 02.11.2020 stands removed.

2. The appointment of Mr. Mahender Partap Singh Bisht, Court Master at S.No. 17 shall also be subject to the condition that if Mr. Rohtash Singh, Deputy Registrar is reverted to the post of Assistant Registrar on repatriation of Ms. Sadhana Jadia from deputation to this Court and in case of non availability of post of Assistant Registrar, he/she shall stand reverted to the post of Court Master.
3. The above appointments are subject to outcome of (i) SLP (Civil) No. 20362/2016 titled "*Ravinder Pahuja & Ors. Vs. High Court of Delhi & Ors.*", (ii) SLP (Civil) No. 19374/2016 titled "*K.K.Sharma & Ors. Vs. High Court of Delhi & Ors.*", (iii) SLP (Civil) No. 27418/2016 titled "*Dinesh Manchanda & Ors. Vs. High Court of Delhi & Ors.*", (iv) SLP (Civil) No. 22722/2016 titled "*Pratima Rani Gupta & Others Vs High Court of Delhi and Ors.*" and (v) W.P. (C) No.8016/2016 titled "*Atul Kumar Sharma Vs. Delhi High Court and Anr.*", and also subject to the condition that in case as a result of implementation of above decisions their seniority position is depressed, they will be liable to yield their position to the officer(s)/official(s) placed senior to them and in case no vacancy is available, they will stand reverted.

VANDANA KAIRON, Jt. Registrar (Estt.I)

अधिसूचना

दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2020

सं. 484/स्थापना.1/ई-2/डी.एच.सी.—माननीय मुख्य न्यायाधीश इस न्यायालय की स्थापना में निम्नलिखित नियुक्तियां सहर्ष करते हैं :-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम व धारित पद	पद जिस पर नियुक्ति हुई	टिप्पणी
1.	श्री अरुण सक्सेना, वरिष्ठ न्यायिक सहायक	वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 में अस्थायी प्रशा. अधिकारी (न्या.) (सातवें वेतन आयोग के अनुसार)	दिनांक 17.12.2020 से आगामी आदेशों तक, 35% वरिष्ठता कोटे के अंतर्गत प्रशासनिक अधिकारी (न्या.) के नव-निर्मित पद के प्रति।
2.	सुश्री गोदावरी, वरिष्ठ न्यायिक सहायक	वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 में अस्थायी प्रशा. अधिकारी (न्या.) (सातवें वेतन आयोग के अनुसार)	दिनांक 17.12.2020 से आगामी आदेशों तक, 35% वरिष्ठता कोटे के अंतर्गत प्रशासनिक अधिकारी (न्या.) के रिक्त पद के प्रति, जो श्री वेद प्रकाश शर्मा, प्रशासनिक अधिकारी (न्या.) की सहायक निबंधक के रूप में पदोन्नति के परिणामस्वरूप उपलब्ध हुआ है।
3.	सुश्री उषा रावत, रीडर	वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 में अस्थायी प्रशा. अधिकारी (न्या.) (सातवें वेतन आयोग के अनुसार)	दिनांक 17.12.2020 से आगामी आदेशों तक, 35% वरिष्ठता कोटे के अंतर्गत प्रशासनिक अधिकारी (न्या.) के रिक्त पद के प्रति, जो सुश्री रेखा गर्ग, प्रशासनिक अधिकारी (न्या.) की सहायक निबंधक के रूप में पदोन्नति के परिणामस्वरूप उपलब्ध हुआ है।
4.	श्री अखिल रविन्द्र कुमार सक्सेना, कोर्ट ऑफिसर	वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 में अस्थायी कोर्ट मास्टर (सातवें वेतन आयोग के अनुसार)	दिनांक 17.12.2020 से आगामी आदेशों तक, 35% वरिष्ठता कोटे के अंतर्गत कोर्ट मास्टर के रिक्त पद के प्रति, जो श्री सुरेंद्र कुमार भडोला, कोर्ट मास्टर की सहायक निबंधक के रूप में पदोन्नति के परिणामस्वरूप उपलब्ध हुआ है।
5.	श्री गोविन्द सिंह, वरिष्ठ न्यायिक सहायक	वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 में अस्थायी प्रशा. अधिकारी (न्या.) (सातवें वेतन आयोग के अनुसार)	दिनांक 17.12.2020 से आगामी आदेशों तक, 35% वरिष्ठता कोटे के अंतर्गत प्रशासनिक अधिकारी (न्या.) के रिक्त पद के प्रति, जो श्री लखविंदर सिंह, प्रशासनिक अधिकारी (न्या.) की सहायक निबंधक के रूप में पदोन्नति के परिणामस्वरूप उपलब्ध हुआ है।

टिप्पणियाँ: 1. उपरोक्त अधिकारियों की नियुक्ति प्रारंभ में उनकी नियुक्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए परीवीक्षा पर होगी तथा परीवीक्षा अवधि की समाप्ति उनके स्वतः स्थायीकरण में परिणत नहीं होगी।

2. कनिष्ठतम प्रशा.अधि.(न्या.)/कोर्ट मास्टर की नियुक्ति, इस शर्त के भी अध्यधीन होगी कि सुश्री साधना जाड़िया के प्रतिनियुक्ति से इस न्यायालय में प्रत्यावर्तन पर यदि कोई सहायक निबंधक प्रशा.अधि.(न्या.) के पद पर प्रत्यावर्तित होता है तथा प्रशा.अधि.(न्या.)/कोर्ट मास्टर का पद उपलब्ध न होने की दशा में, वे वरिष्ठ न्यायिक सहायक के पद पर प्रत्यावर्तित हो जायेंगे/गी।

3. उपरोक्त नियुक्तियां (i) एस.एल.पी. (सिविल) सं. 20362/2016 शीर्षक "रविंदर पाहुजा एवं अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य", (ii) एस.एल.पी. (सिविल) सं. 19374/2016 शीर्षक "के.के. शर्मा व अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य", (iii) एस.एल.पी. (सिविल) सं. 27418/2016 शीर्षक "दिनेश मनचंदा व अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य", (iv) एस.एल.पी. (सिविल) सं. 22722/2016 शीर्षक "प्रतिमा रानी गुप्ता व अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य" तथा (v) रिट याचिका (सिविल) सं. 8016/2016 शीर्षक "अतुल कुमार शर्मा बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य" के परिणाम के अध्यधीन हैं तथा इस शर्त के भी अध्यधीन कि उपरोक्त निर्णयों के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप यदि उनका वरिष्ठता स्तर अवनत होता है तो वे अपना स्थान अपने से ऊपर आसीन अधिकारी(गण)/कर्मचारी(गण) हेतु छोड़ने के लिए बाध्य होंगे एवं यदि कोई रिक्ति उपलब्ध नहीं होती है तो वे प्रत्यावर्तित हो जायेंगे।

वंदना कैरोन, संयुक्त निबंधक (स्थापना-I)

NOTIFICATION

Delhi, the 18th December, 2020

No.484/Estt.I/E-2/DHC.— Hon'ble the Chief Justice has been pleased to make the following appointments on the Establishment of this Court:-

S.No.	Name of the Official & Post held	Post to which appointed	Remarks
1.	Mr. Arun Saxena, Senior Judicial Assistant	Temporary Admn. Officer (Judl.) in the Level 11 of Pay Matrix (as per 7 th Pay Commission)	With effect from 17.12.2020 till further orders against one of the newly created post of Administrative Officer (Judl.) under 35% seniority quota.
2.	Ms. Godavari, Senior Judicial Assistant	Temporary Admn. Officer (Judl.) in the Level 11 of Pay Matrix (as per 7 th Pay Commission)	With effect from 17.12.2020 till further orders against a vacant post of Admn. Officer (Judl.) under 35% seniority quota, which has become available upon promotion of Mr. Ved Prakash Sharma, Administrative Officer (Judl.) as Assistant Registrar.
3.	Ms. Usha Rawat, Reader	Temporary Admn. Officer (Judl.) in the Level 11 of Pay Matrix (as per 7 th Pay Commission)	With effect from 17.12.2020 till further orders against a vacant post of Admn. Officer (Judl.) under 35% seniority quota, which has become available upon promotion of Ms. Rekha Garg, Administrative Officer (Judl.) as Assistant Registrar.
4.	Mr. Akhil Ravindra Kumar Saxena, Court Officer	Temporary Court Master in the Level 11 of Pay Matrix (as per 7 th Pay Commission)	With effect from 17.12.2020 till further orders against a vacant post of Court Master under 35% seniority quota, which has become available upon promotion of Mr. Surender Kumar Bhadola, Court Master as Assistant Registrar.
5.	Mr. Govind Singh, Senior Judicial Assistant	Temporary Admn. Officer (Judl.) in the Level 11 of Pay Matrix (as per 7 th Pay Commission)	With effect from 17.12.2020 till further orders against a vacant post of Admn. Officer (Judl.) under 35% seniority quota, which has become available upon promotion of Mr. Lakhvinder Singh, Administrative Officer (Judl.) as Assistant Registrar.

- NOTES:** 1. The appointment of above mentioned officers will be on probation initially for a period of one year from the date of their appointment and expiry of the period of probation shall not result in their automatic confirmation.
2. The appointment of the junior most AO(J)/Court Master shall also be subject to the condition that in case any Assistant Registrar is reverted to the post of AO(J)/Court Master on repatriation of Ms. Sadhana Jadia from deputation to this Court and in case of non availability of post of AO(J)/Court Master, he/she shall stand reverted to the post of SJA.
3. The above appointment is subject to outcome of the (i) SLP (Civil) No. 20362/2016 titled 'Ravinder Pahuja & Ors. Vs High Court of Delhi & Ors.', (ii) SLP (Civil) No. 19374/2016 titled 'K.K. Sharma & Ors. Vs High Court of Delhi & Ors.', (iii) SLP (Civil) No. 27418/2016 titled 'Dinesh Manchanda & Ors. Vs. High Court of Delhi and Ors.', (iv) SLP (Civil) No. 22722/2016 titled "Pratima Rani Gupta & Others Vs High Court of Delhi and Ors." and (v) W.P.(C) No. 8016/2016 titled 'Atul Kumar Sharma Vs. Delhi High Court and Anr.' and also subject to the condition that in case as a result of implementation of above decisions, their seniority position is depressed, they will be liable to yield their position to the officer(s)/official(s) placed senior to them and in case no vacancy is available, they will stand reverted.

VANDANA KAIRON, Jt. Registrar (Estt.I)

अधिसूचना

दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2020

सं. 485/स्थापना.1/ई-2/डी.एच.सी.—माननीय मुख्य न्यायाधीश इस न्यायालय की स्थापना में निम्नलिखित नियुक्तियां सहर्ष करते हैं :-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम व धारित पद	पद जिस पर नियुक्ति हुई	टिप्पणी
1.	श्री बबलू शाह, वरिष्ठ निजी सहायक	वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 में अस्थायी निजी सचिव (सातवें वेतन आयोग के अनुसार)	दिनांक 17.12.2020 से आगामी आदेशों तक, 35% वरिष्ठता कोटे के अंतर्गत निजी सचिव के नव-निर्मित पद के प्रति।
2.	सुश्री प्रीति, वरिष्ठ निजी सहायक	वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 में अस्थायी निजी सचिव (सातवें वेतन आयोग के अनुसार)	दिनांक 17.12.2020 से आगामी आदेशों तक, 35% वरिष्ठता कोटे के अंतर्गत श्री तुषार कांति पाण्डेय, निजी सचिव की सहायक निबंधक के रूप में पदोन्नति के परिणामस्वरूप उपलब्ध हुई रिक्ति के प्रति।
3.	सुश्री रंजू भल्ला, वरिष्ठ निजी सहायक	वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 में अस्थायी निजी सचिव (सातवें वेतन आयोग के अनुसार)	दिनांक 17.12.2020 से आगामी आदेशों तक, 35% वरिष्ठता कोटे के अंतर्गत सुश्री मंजू भट्ट, निजी सचिव की सहायक निबंधक के रूप में पदोन्नति के परिणामस्वरूप उपलब्ध हुई रिक्ति के प्रति।
4.	सुश्री नीलम शर्मा, वरिष्ठ निजी सहायक	वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 में अस्थायी निजी सचिव (सातवें वेतन आयोग के अनुसार)	दिनांक 17.12.2020 से आगामी आदेशों तक, 35% वरिष्ठता कोटे के अंतर्गत श्री कपिल शर्मा, निजी सचिव की सहायक निबंधक के रूप में पदोन्नति के परिणामस्वरूप उपलब्ध हुई रिक्ति के प्रति।
5.	सुश्री ज्योति माटा, वरिष्ठ निजी सहायक	वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 में अस्थायी निजी सचिव (सातवें वेतन आयोग के अनुसार)	दिनांक 17.12.2020 से आगामी आदेशों तक, 35% वरिष्ठता कोटे के अंतर्गत सुश्री प्रेम बाला छाबड़ा, निजी सचिव की सहायक निबंधक के रूप में पदोन्नति के परिणामस्वरूप उपलब्ध हुई रिक्ति के प्रति।

टिप्पणियाँ: 1. उपरोक्त अधिकारियों की नियुक्ति प्रारंभ में उनकी नियुक्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर होगी तथा परीक्षा अवधि की समाप्ति उनके स्वतः स्थायीकरण में परिणत नहीं होगी।

2. कनिष्ठतम निजी सचिव की नियुक्ति, इस शर्त के भी अध्वधीन होगी कि सुश्री साधना जाडिया के प्रतिनियुक्ति से इस न्यायालय में प्रत्यावर्तन पर यदि कोई सहायक निबंधक निजी सचिव के पद पर प्रत्यावर्तित होता है तथा निजी सचिव का पद उपलब्ध न होने की दशा में, वे वरिष्ठ निजी सहायक के पद पर प्रत्यावर्तित हो जायेंगे/गी।

3. उपरोक्त नियुक्तियां (i) एस.एल.पी. (सिविल) सं. 20362/2016 शीर्षक "रविंदर पाहुजा एवं अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य", (ii) एस.एल.पी. (सिविल) सं. 19374/2016 शीर्षक "के.के. शर्मा व अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य", (iii) एस.एल.पी. (सिविल) सं. 27418/2016 शीर्षक "दिनेश मनचंदा व अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य", (iv) एस.एल.पी. (सिविल) सं. 22722/2016 शीर्षक "प्रतिमा रानी गुप्ता व अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य" तथा (v) रिट याचिका (सिविल) सं. 8016/2016 शीर्षक "अतुल कुमार शर्मा बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य" के परिणाम के अध्वधीन हैं तथा इस शर्त के भी अध्वधीन कि उपरोक्त निर्णयों के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप यदि उनका वरिष्ठता स्तर अवनत होता है तो वे अपना स्थान अपने से ऊपर आसीन अधिकारी(गण)/कर्मचारी(गण) हेतु छोड़ने के लिए बाध्य होंगे एवं यदि कोई रिक्ति उपलब्ध नहीं होती है तो वे प्रत्यावर्तित हो जायेंगे।

वंदना कैरोन, संयुक्त निबंधक (स्थापना-I)

NOTIFICATION

Delhi, the 18th December, 2020

No.485/Estt.I/E-2/DHC.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to make the following appointments on the establishment of this Court:-

S.No.	Name of the Official & Post held	Post to which appointed	Remarks
1.	Mr. Babloo Shah, Senior Personal Assistant	Temporary Private Secretary in the Level 11 of Pay Matrix (as per 7 th Pay Commission)	With effect from 17.12.2020 till further orders, against a newly created vacancy of Private Secretary under 35% seniority quota.
2.	Ms. Preeti, Senior Personal Assistant	Temporary Private Secretary in the Level 11 of Pay Matrix (as per 7 th Pay Commission)	With effect from 17.12.2020 till further orders, against a vacancy under 35% seniority quota arising upon promotion of Mr. Tushar Kanti Pandey, Private Secretary as Assistant Registrar.
3.	Ms. Ranju Bhalla, Senior Personal Assistant	Temporary Private Secretary in the Level 11 of Pay Matrix (as per 7 th Pay Commission)	With effect from 17.12.2020 till further orders, against a vacancy under 35% seniority quota arising upon promotion of Ms. Manju Bhatt, Private Secretary as Assistant Registrar.
4.	Ms. Neelam Sharma, Senior Personal Assistant	Temporary Private Secretary in the Level 11 of Pay Matrix (as per 7 th Pay Commission)	With effect from 17.12.2020 till further orders, against a vacancy under 35% seniority quota arising upon promotion of Mr. Kapil Sharma, Private Secretary as Assistant Registrar.
5.	Ms. Jyoti Matta, Senior Personal Assistant	Temporary Private Secretary in the Level 11 of Pay Matrix (as per 7 th Pay Commission)	With effect from 17.12.2020 till further orders, against a vacancy under 35% seniority quota arising upon promotion of Ms. Prem Bala Chhabra, Private Secretary as Assistant Registrar.

- Note:-**
1. The above mentioned officers will be on probation initially for a period of one year from the date of their appointment and expiry of the period of probation shall not result in their automatic confirmation.
 2. The appointment of the junior most Private Secretary shall also be subject to the condition that in case any Assistant Registrar is reverted to the post of Private Secretary on repatriation of Ms. Sadhana Jadia from deputation to this Court and in case of non availability of post of Private Secretary, he/she shall stand reverted to the post of SPA.

3. The above appointments are subject to outcome of the (i) SLP (Civil) No.20362/2016 titled "Ravinder Pahuja & Ors. Vs High Court of Delhi & Ors."; (ii) SLP (Civil) No.19374/2016 titled "K.K.Sharma & Ors. Vs. High Court of Delhi & Ors."; (iii) SLP (Civil) No. 27418/2016 titled "Dinesh Manchanda & Ors. Vs. High Court of Delhi and Ors."; (iv) SLP (Civil) No.22722/2016 titled "Pratima Rani Gupta & Others Vs. High Court of Delhi and Ors."; (v) W.P.(C) No.8016/2016 titled "Atul Kumar Sharma Vs. Delhi High Court and Anr." as also subject to the condition that in case, as a result of implementation of above decisions their seniority position are depressed, they will be liable to yield their position to the officer(s)/ official(s) placed senior to them and in case no vacancy is available, they shall stand reverted to their previous post.

VANDANA KAIRON, Jt. Registrar (Estt.I)

अधिसूचना

दिल्ली, 2 जनवरी, 2021

सं.01/स्था.1/ई-2/डी.एच.सी.—माननीय मुख्य न्यायाधीश इस न्यायालय की स्थापना में निम्नलिखित नियुक्ति सहर्ष करते हैं:-

क्रम सं.	अधिकारी का नाम तथा धारित पद	पद जिस पर नियुक्ति हुई	टिप्पणी
1.	श्री संजीव बिष्ट, वरिष्ठ न्यायिक सहायक	वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 में अस्थायी प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक) (सातवें वेतन आयोग के अनुसार)	दिनांक 01.01.2021 से आगामी आदेशों तक 35% वरिष्ठता कोटे के अंतर्गत प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक) के एक रिक्त पद के प्रति, जो श्री ललित कुमार शर्मा, प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक) की दिनांक 31.12.2020 को सेवानिवृत्ति पर उपलब्ध हुआ है।

टिप्पणियाँ : 1. उपरोक्त वर्णित अधिकारी की नियुक्ति प्रारंभ में उनकी नियुक्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर होगी तथा परिवीक्षा अवधि की समाप्ति उनके स्वतः स्थायीकरण में परिणत नहीं होगी।

2. उपरोक्त नियुक्ति (i) एस.एल.पी. (सिविल) सं. 20362/2016 शीर्षक "रविंदर पाहुजा एवं अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य", (ii) एस.एल.पी. (सिविल) सं. 19374/2016 शीर्षक "के.के. शर्मा व अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य", (iii) एस.एल.पी. (सिविल) सं. 27418/2016 शीर्षक "दिनेश मनचंदा व अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य", (iv) एस.एल.पी. (सिविल) सं. 22722/2016 शीर्षक "प्रतिमा रानी गुप्ता व अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य" तथा (v) रिट याचिका (सिविल) सं. 8016/2016 शीर्षक "अतुल कुमार शर्मा बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य" के परिणाम के अध्यधीन है तथा इस शर्त के भी अध्यधीन कि उपरोक्त निर्णयों के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप यदि उनका वरिष्ठता स्तर अवनत होता है तो वे अपना स्थान अपने से ऊपर आसीन अधिकारी(गण)/कर्मचारी(गण) हेतु छोड़ने के लिए बाध्य होंगे एवं यदि कोई रिक्ति उपलब्ध नहीं होती है तो वे प्रत्यावर्तित हो जायेंगे।

वंदना कैरोन, संयुक्त निबंधक (स्थापना-I)

NOTIFICATION

Delhi, the 2nd January, 2021

No.01/Estt.I/E-2/DHC.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to make the following appointment on the Establishment of this Court:-

S.No.	Name of the Official & Post held	Post to which appointed	Remarks
1.	Mr. Sanjeev Bisht, Senior Judicial Assistant	Temporary Admn. Officer (Judl.) in the Level 11 of Pay Matrix (as per 7 th Pay Commission)	With effect from 01.01.2021 till further orders against a vacant post of Admn. Officer (Judl.) 35% seniority quota, becoming available consequent upon retirement of Mr. Lalit Kumar Sharma, Administrative Officer (Judl.) on 31.12.2020.

- NOTES:** 1. The appointment of above mentioned officer will be on probation initially for a period of one year from the date of his appointment and expiry of the period of probation shall not result in his automatic confirmation.
2. The above appointment is subject to outcome of the (i) SLP (Civil) No. 20362/2016 titled 'Ravinder Pahuja & Ors. Vs High Court of Delhi & Ors.', (ii) SLP (Civil) No. 19374/2016 titled 'K.K. Sharma & Ors. Vs High Court of Delhi & Ors.', (iii) SLP (Civil) No. 27418/2016 titled 'Dinesh Manchanda & Ors. Vs. High Court of Delhi and Ors.', (iv) SLP (Civil) No. 22722/2016 titled "Pratima Rani Gupta & Others Vs High Court of Delhi and Ors." and (v) W.P.(C) No. 8016/2016 titled 'Atul Kumar Sharma Vs. Delhi High Court and Anr.' and also subject to the condition that in case as a result of implementation of above decisions, his seniority position is depressed, he will be liable to yield his position to the officer(s)/official(s) placed senior to him and in case no vacancy is available, he will stand reverted.

VANDANA KAIRON, Jt. Registrar (Estt.I)

अधिसूचना

दिल्ली, 14 जनवरी, 2021

सं.37/स्था.1/ई-2/डी.एच.सी.—इस न्यायालय की अधिसूचना सं. 483/स्थापना-1/ई-2/डी.एच.सी दिनांक 18.12.2020 की निरंतरता में माननीय मुख्य न्यायाधीश इस न्यायालय की स्थापना में निम्नलिखित नियुक्ति सहर्ष करते हैं:-

क्रम सं.	अधिकारी का नाम तथा धारित पद	पद जिस पर नियुक्ति हुई	टिप्पणी
1.	श्री कमल कांत मैदीरत्ता, निजी सचिव	वेतन मैट्रिक्स के स्तर 12 में स्थानापन्न सहायक निबंधक (सातवें वेतन आयोग के अनुसार)	दिनांक 01.01.2021 से आगामी आदेशों तक सहायक निबंधक की विद्यमान रिक्ति के प्रति।

टिप्पणियाँ : 1. श्री महेन्द्र प्रताप सिंह बिष्ट, अस्थायी सहायक निबंधक की नियुक्ति पर अधिसूचना सं. 483/स्थापना-1/ई-2/डी.एच.सी दिनांक 18.12.2020 द्वारा लगाई गई शर्त सं. 2 हटाई जाती है।

2. श्री कमल कांत मैदीरत्ता की नियुक्ति इस शर्त के भी अध्यक्षीन है कि यदि उप निबंधक, श्री रोहताश सिंह सहायक निबंधक के पद पर प्रत्यावर्तित होते हैं तथा सहायक निबंधक का कोई पद उपलब्ध न होने की दशा में, वह निजी सचिव के पद पर प्रत्यावर्तित हो जायेंगे।
3. उपरोक्त नियुक्ति (i) एस.एल.पी. (सिविल) सं. 20362/2016 शीर्षक "रविंदर पाहुजा एवं अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य", (ii) एस.एल.पी. (सिविल) सं. 19374/2016 शीर्षक "के.के. शर्मा व अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य", (iii) एस.एल.पी. (सिविल) सं. 27418/2016 शीर्षक "दिनेश मनचंदा व अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य", (iv) एस.एल.पी. (सिविल) सं. 22722/2016 शीर्षक "प्रतिमा रानी गुप्ता व अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य" तथा (v) रिट याचिका (सिविल) सं. 8016/2016 शीर्षक "अतुल कुमार शर्मा बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य" के परिणाम के अध्यक्षीन है तथा इस शर्त के भी अध्यक्षीन कि उपरोक्त निर्णयों के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप यदि उनका वरिष्ठता स्तर अवनत होता है तो वे अपना स्थान अपने से ऊपर आसीन अधिकारी(गण)/कर्मचारी(गण) हेतु छोड़ने के लिए बाध्य होंगे एवं यदि कोई रिक्ति उपलब्ध नहीं होती है तो वे प्रत्यावर्तित हो जायेंगे।

वंदना कैरोन, संयुक्त निबंधक (स्थापना I)

NOTIFICATION

Delhi, the 14th January, 2021

No.37/Estt.I/E-2/DHC.—In continuation to this Court's Notification No. 483/Estt.I/E-2/DHC dated 18.12.2020, Hon'ble the Chief Justice has been pleased to make the following appointment on the establishment of this Court:-

S.No.	Name of the officer & Post held	Post to which appointed	Remarks
1.	Mr. Kamal Kant Mendiratta, Private Secretary	Officiating Assistant Registrar in the Level 12 of Pay Matrix (as per 7 th Pay Commission)	With effect from 01.01.2021 till further orders against an existing vacancy of Assistant Registrar.

NOTES: 1. The Condition No.2 imposed on the appointment of Mr. Mahender Partap Singh Bisht, temporary Assistant Registrar vide Notification No. 483/Estt.I/E-2/DHC dated 18.12.2020 stands removed.

2. The appointment of Mr. Kamal Kant Mendritta, shall also be subject to the condition that if Mr. Rohtash Singh, Deputy Registrar is reverted to the post of Assistant Registrar and in case of non availability of post of Assistant Registrar, he shall stand reverted to the post of Private Secretary.

3. The above appointments are subject to outcome of (i) SLP (Civil) No. 20362/2016 titled "*Ravinder Pahuja & Ors. Vs. High Court of Delhi & Ors.*", (ii) SLP (Civil) No. 19374/2016 titled "*K.K.Sharma & Ors. Vs. High Court of Delhi & Ors.*", (iii) SLP (Civil) No. 27418/2016 titled "*Dinesh Manchanda & Ors. Vs. High Court of Delhi & Ors.*", (iv) SLP (Civil) No. 22722/2016 titled "*Pratima Rani Gupta & Others Vs High Court of Delhi and Ors.*" and (v) W.P. (C) No.8016/2016 titled "*Atul Kumar Sharma Vs. Delhi High Court and Anr.*", and also subject to the condition that in case as a result of implementation of above decisions his seniority position is depressed, he will be liable to yield his position to the officer(s)/official(s) placed senior to him and in case no vacancy is available, he will stand reverted.

VANDANA KAIRON, Jt. Registrar (Estt.I)

अधिसूचना

दिल्ली, 15 फरवरी, 2021

सं.68/स्था.1/ई-2/डी.एच.सी.—माननीय मुख्य न्यायाधीश इस न्यायालय की स्थापना में निम्नलिखित नियुक्ति सहर्ष करते हैं:-

क्रम सं.	अधिकारी का नाम तथा धारित पद	पद जिस पर नियुक्ति हुई	टिप्पणी
1.	श्री भूपिन्दर जाम्ब, उप निबंधक	वेतन मैट्रिक्स के स्तर 14 में अस्थायी संयुक्त निबंधक (सातवें वेतन आयोग के अनुसार)	दिनांक 15.02.2021 से आगामी आदेशों तक संयुक्त निबंधक के रिक्त पद के प्रति जो श्री नरेश चंद गर्ग, संयुक्त निबंधक की दिनांक 01.02.2021 से निबंधक के रूप में पदोन्नति के परिणामस्वरूप उपलब्ध हुआ है।

टिप्पणी:- उपरोक्त नियुक्ति (i) एस.एल.पी. (सिविल) सं. 20362/2016 शीर्षक "रविंदर पाहुजा एवं अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य", (ii) एस.एल.पी. (सिविल) सं. 19374/2016 शीर्षक "के.के. शर्मा व अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य", (iii) एस.एल.पी. (सिविल) सं. 27418/2016 शीर्षक "दिनेश मनचंदा व अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य", (iv) एस.एल.पी. (सिविल) सं. 22722/2016 शीर्षक "प्रतिमा रानी गुप्ता व अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य" तथा (v) रिट याचिका (सिविल) सं. 8016/2016 शीर्षक "अतुल कुमार शर्मा बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य" के परिणाम के अधीन है तथा इस शर्त के भी अधीन कि उपरोक्त निर्णयों के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप यदि उनका वरिष्ठता स्तर अवनत होता है तो वे अपना स्थान अपने से ऊपर आसीन अधिकारी(गण) हेतु छोड़ने के लिए बाध्य होंगे एवं यदि कोई रिक्ति उपलब्ध नहीं होती है तो वे प्रत्यावर्तित हो जायेंगे।

अनिल कुमार कौशल, निबंधक (स्थापना)

NOTIFICATION

Delhi, the 15th February, 2021

No.68/Estt.-I/E-2/DHC.— Hon'ble the Chief Justice has been pleased to make the following appointment on the establishment of this Court:-

Sr. No.	Name of the officer & Post held	Post to which appointed	Remarks
1.	Mr. Bhupinder Jhamb, Deputy Registrar	Temporary Joint Registrar in the Level 14 of Pay Matrix (as per 7 th Pay Commission)	With effect from 15.02.2021 till further orders against the vacant post of Joint Registrar which became available consequent upon promotion of Mr. Naresh Chand Garg, Joint Registrar as Registrar w.e.f 01.02.2021.

NOTE: The above appointment is subject to outcome of (i) SLP (Civil) No. 20362/2016 titled "*Ravinder Pahuja & Ors. Vs. High Court of Delhi & Ors.*", (ii) SLP (Civil) No. 19374/2016 titled "*K.K.Sharma & Ors. Vs. High Court of Delhi & Ors.*", (iii) SLP (Civil) No. 27418/2016 titled "*Dinesh Manchanda & Ors. Vs. High Court of Delhi & Ors.*", (iv) SLP (Civil) No. 22722/2016 titled "*Pratima Rani Gupta & Others Vs. High Court of Delhi and Ors.*" and (v) W.P. (C) No.8016/2016 titled "*Atul Kumar Sharma Vs. Delhi High Court and Anr.*" and also subject to the condition that in case as a result of implementation of above decisions, his seniority position is depressed, he will be liable to yield his position to the officer(s) placed senior to him and in case no vacancy is available, he shall stand reverted.

ANIL KUMAR KOUSHAL, Registrar (Estt.)

अधिसूचना

दिल्ली, 15 फरवरी, 2021

सं.69/स्था.1/ई-2/डी.एच.सी.—इस न्यायालय की अधिसूचना सं. 482/स्थापना-1/ई-2/डी.एच.सी दिनांक 18.12.2020 तथा आदेश सं. 75/स्थापना-1/ई-2/डी.एच.सी दिनांक 15.01.2021 की निरंतरता में माननीय मुख्य न्यायाधीश इस न्यायालय की स्थापना में निम्नलिखित नियुक्ति सहर्ष करते हैं:-

क्रम सं.	अधिकारी का नाम तथा धारित पद	पद जिस पर नियुक्ति हुई	टिप्पणी
1.	श्री रोहताश सिंह, स्थानापन्न उप निबंधक	वेतन मैट्रिक्स के स्तर 13 में अस्थायी उप निबंधक (सातवें वेतन आयोग के अनुसार)	दिनांक 15.02.2021 से आगामी आदेशों तक उप निबंधक के रिक्त पद के प्रति जो श्री भूपिन्दर जाम्ब, उप निबंधक की संयुक्त निबंधक के रूप में पदोन्नति के परिणामस्वरूप उपलब्ध हुआ है।

टिप्पणी:- उपरोक्त नियुक्ति (i) एस.एल.पी. (सिविल) सं. 20362/2016 शीर्षक "रविंदर पाहुजा एवं अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य", (ii) एस.एल.पी. (सिविल) सं. 19374/2016 शीर्षक "के.के. शर्मा व अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य", (iii) एस.एल.पी. (सिविल) सं. 27418/2016 शीर्षक "दिनेश मनचंदा व अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य", (iv) एस.एल.पी. (सिविल) सं. 22722/2016 शीर्षक "प्रतिमा रानी गुप्ता व अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य" तथा (v) रिट याचिका (सिविल) सं. 8016/2016 शीर्षक "अतुल कुमार शर्मा बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य" के परिणाम के अध्यधीन है तथा इस शर्त के भी अध्यधीन कि उपरोक्त निर्णयों के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप यदि उनका वरिष्ठता स्तर अवनत होता है तो वे अपना स्थान अपने से ऊपर आसीन अधिकारी(गण)/कर्मचारी(गण) हेतु छोड़ने के लिए बाध्य होंगे एवं यदि कोई रिक्ति उपलब्ध नहीं होती है तो वे प्रत्यावर्तित हो जायेंगे।

अनिल कुमार कौशल, निबंधक (स्थापना I)

NOTIFICATION

Delhi, the 15th February, 2021

No.69/Estt.I/E-2/DHC.—In continuation to this Court's Notification No. 482/Estt.I/E-2/DHC dated 18.12.2020, and order No.75/Estt.I/E-2/DHC dated 15.01.2021 Hon'ble the Chief Justice has been pleased to make the following appointment on the establishment of this Court:-

S. No.	Name of the Officer & Post held	Post to which appointed	Remarks
1.	Mr. Rohtash Singh, Officiating Deputy Registrar	Temporary Deputy Registrar in the Level 13 of Pay Matrix (as per 7 th Pay Commission)	With effect from 15.02.2021 till further orders against the vacant post of Deputy Registrar which became available consequent upon promotion of Mr. Bhupinder Jhamb, Deputy Registrar as Joint Registrar.

NOTE: The above appointment is subject to outcome of (i) SLP (Civil) No. 20362/2016 titled "*Ravinder Pahuja & Ors. Vs. High Court of Delhi & Ors.*", (ii) SLP (Civil) No. 19374/2016 titled "*K.K.Sharma & Ors. Vs.*

High Court of Delhi & Ors., (iii) SLP (Civil) No. 27418/2016 titled "*Dinesh Manchanda & Ors. Vs. High Court of Delhi & Ors.*", (iv) SLP (Civil) No. 22722/2016 titled "*Pratima Rani Gupta & Others Vs High Court of Delhi and Ors.*" and (v) W.P. (C) No. 8016/2016 titled "*Atul Kumar Sharma Vs. Delhi High Court and Anr.*", and also subject to the condition that in case as a result of implementation of above decisions his seniority position is depressed, he will be liable to yield his position to the officer(s)/official(s) placed senior to him and in case no vacancy is available, he will stand reverted.

ANIL KUMAR KOUSHAL, Registrar (Estt.I)

अधिसूचना

दिल्ली, 15 फरवरी, 2021

सं.70/स्था.1/ई-2/डी.एच.सी.—इस न्यायालय की अधिसूचना सं. 37/स्थापना-1/ई-2/डी.एच.सी दिनांक 14.01.2021 की निरंतरता में माननीय मुख्य न्यायाधीश इस न्यायालय की स्थापना में निम्नलिखित नियुक्तियां सहर्ष करते हैं:-

क्रम सं.	अधिकारी का नाम तथा धारित पद	पद जिस पर नियुक्ति हुई	टिप्पणी
1.	श्री कमल कांत मैदीरत्ता, स्थानापन्न सहायक निबंधक	वेतन मैट्रिक्स के स्तर 12 में अस्थायी सहायक निबंधक (सातवें वेतन आयोग के अनुसार)	दिनांक 15.02.2021 से आगामी आदेशों तक सहायक निबंधक की एक विद्यमान रिक्ति के प्रति।
2.	श्री नवल किशोर, कोर्ट मास्टर	वेतन मैट्रिक्स के स्तर 12 में अस्थायी सहायक निबंधक (सातवें वेतन आयोग के अनुसार)	दिनांक 15.02.2021 से आगामी आदेशों तक श्री वेद प्रकाश शर्मा, सहायक निबंधक की दिनांक 31.01.2021 को सेवानिवृत्ति के परिणामस्वरूप उपलब्ध हुई रिक्ति के प्रति।

टिप्पणियाँ : 1. श्री कमल कांत मैदीरत्ता, अस्थायी सहायक निबंधक की नियुक्ति पर अधिसूचना सं. 37/स्थापना-1/ई-2/डी.एच.सी दिनांक 14.01.2021 द्वारा लगाई गई शर्त सं. 2 हटाई जाती है।

2. उपरोक्त नियुक्तियां (i) एस.एल.पी. (सिविल) सं. 20362/2016 शीर्षक "रविंदर पाहुजा एवं अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य", (ii) एस.एल.पी. (सिविल) सं. 19374/2016 शीर्षक "के.के. शर्मा व अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य", (iii) एस.एल.पी. (सिविल) सं. 27418/2016 शीर्षक "दिनेश मनचंदा व अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य", (iv) एस.एल.पी. (सिविल) सं. 22722/2016 शीर्षक "प्रतिमा रानी गुप्ता व अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य" तथा (v) रिट याचिका (सिविल) सं. 8016/2016 शीर्षक "अतुल कुमार शर्मा बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य" के परिणाम के अध्यक्षीन हैं तथा इस शर्त के भी अध्यक्षीन कि उपरोक्त निर्णयों के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप यदि उनका वरिष्ठता स्तर अवनत होता है तो वे अपना स्थान अपने से ऊपर आसीन अधिकारी(गण)/कर्मचारी(गण) हेतु छोड़ने के लिए बाध्य होंगे एवं यदि कोई रिक्ति उपलब्ध नहीं होती है तो वे प्रत्यावर्तित हो जायेंगे।

अनिल कुमार कौशल, निबंधक (स्थापना I)

NOTIFICATION

Delhi, the 15th February, 2021

No.70/Estt.I/E-2/DHC.—In continuation to this Court's Notification No. 37/Estt.I/E-2/DHC dated 14.01.2021, Hon'ble the Chief Justice has been pleased to make the following appointment on the establishment of this Court:-

S.No.	Name of the officer & Post held	Post to which appointed	Remarks
1.	Mr. Kamal Kant Mendiratta, Officiating Assistant Registrar	Temporary Assistant Registrar in the Level 12 of Pay Matrix (as per 7 th Pay Commission)	With effect from 15.02.2021 till further orders against an existing vacancy of Assistant Registrar.

2.	Mr. Naval Kishore, Court Master	Temporary Assistant Registrar in the Level 12 of Pay Matrix (as per 7 th Pay Commission)	With effect from 15.02.2021 till further orders against the vacancy arising upon retirement of Mr. Ved Prakash Sharma, Assistant Registrar on 31.01.2021
----	---------------------------------	---	--

NOTES: 1. The Condition No.2 imposed on the appointment of Mr. Kamal Kant Mendiratta, Temporary Assistant Registrar vide Notification No. 37/Estt.I/E-2/DHC dated 14.01.2021 stands removed.

2. The above appointments are subject to outcome of (i) SLP (Civil) No. 20362/2016 titled “*Ravinder Pahuja & Ors. Vs. High Court of Delhi & Ors.*”, (ii) SLP (Civil) No. 19374/2016 titled “*K.K.Sharma & Ors. Vs. High Court of Delhi & Ors.*”, (iii) SLP (Civil) No. 27418/2016 titled “*Dinesh Manchanda & Ors. Vs. High Court of Delhi & Ors.*”, (iv) SLP (Civil) No. 22722/2016 titled “*Pratima Rani Gupta & Others Vs High Court of Delhi and Ors.*” and (v) W.P. (C) No.8016/2016 titled “*Atul Kumar Sharma Vs. Delhi High Court and Anr.*”, and also subject to the condition that in case as a result of implementation of above decisions their seniority position is depressed, they will be liable to yield their position to the officer(s)/official(s) placed senior to them and in case no vacancy is available, they will stand reverted.

ANIL KUMAR KOUSHAL, Registrar (Estt.I)

अधिसूचना

दिल्ली, 15 फरवरी, 2021

सं.71/स्था.1/ई-2/डी.एच.सी.—माननीय मुख्य न्यायाधीश इस न्यायालय की स्थापना में निम्नलिखित नियुक्ति सहर्ष करते हैं:-

क्रम सं.	अधिकारी का नाम तथा धारित पद	पद जिस पर नियुक्ति हुई	टिप्पणी
1.	श्री प्रवीन किशवान, वरिष्ठ न्यायिक सहायक	वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 में अस्थायी प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक) (सातवें वेतन आयोग के अनुसार)	दिनांक 15.02.2021 से आगामी आदेशों तक 35% वरिष्ठता कोटे के अंतर्गत प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक) के एक रिक्त पद के प्रति, जो श्री विजय कुमार शर्मा, प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक) की दिनांक 31.01.2021 को सेवानिवृत्ति पर उपलब्ध हुआ है।

टिप्पणियाँ : 1. उपरोक्त वर्णित अधिकारी की नियुक्ति प्रारंभ में उनकी नियुक्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर होगी तथा परीक्षा अवधि की समाप्ति उनके स्वतः स्थायीकरण में परिणत नहीं होगी।

2. उपरोक्त नियुक्ति (i) एस.एल.पी. (सिविल) सं. 20362/2016 शीर्षक “रविंदर पाहुजा एवं अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य”, (ii) एस.एल.पी. (सिविल) सं. 19374/2016 शीर्षक “के.के. शर्मा व अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य”, (iii) एस.एल.पी. (सिविल) सं. 27418/2016 शीर्षक “दिनेश मनचंदा व अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य”, (iv) एस.एल.पी. (सिविल) सं. 22722/2016 शीर्षक “प्रतिमा रानी गुप्ता व अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य” तथा (v) रिट याचिका (सिविल) सं. 8016/2016 शीर्षक “अतुल कुमार शर्मा बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य” के परिणाम के अधीन है तथा इस शर्त के भी अधीन कि उपरोक्त निर्णयों के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप यदि उनका वरिष्ठता स्तर अवनत होता है तो वे अपना स्थान अपने से ऊपर आसीन अधिकारी(गण)/कर्मचारी(गण) हेतु छोड़ने के लिए बाध्य होंगे एवं यदि कोई रिक्ति उपलब्ध नहीं होती है तो वे प्रत्यावर्तित हो जायेंगे।

अनिल कुमार कौशल, निबंधक (स्थापना)

NOTIFICATION

Delhi, the 15th February, 2021

No.71/Estt.I/E-2/DHC.— Hon'ble the Chief Justice has been pleased to make the following appointment on the Establishment of this Court:-

S.No.	Name of the Official & Post held	Post to which appointed	Remarks
1.	Mr. Praveen Kishwan, Senior Judicial Assistant	Temporary Admn. Officer (Judl.) in the Level 11 of Pay Matrix (as per 7 th Pay Commission)	With effect from 15.02.2021 till further orders against a vacant post of Admn. Officer (Judl.) 35% seniority quota, becoming available consequent upon retirement of Mr. Vijay Kumar Sharma, Administrative Officer (Judl.) on 31.01.2021.

- NOTES:** 1. The appointment of above mentioned officer will be on probation initially for a period of one year from the date of his appointment and expiry of the period of probation shall not result in his automatic confirmation.
2. The above appointment is subject to outcome of the (i) SLP (Civil) No. 20362/2016 titled 'Ravinder Pahuja & Ors. Vs High Court of Delhi & Ors.', (ii) SLP (Civil) No. 19374/2016 titled 'K.K. Sharma & Ors. Vs High Court of Delhi & Ors.', (iii) SLP (Civil) No. 27418/2016 titled 'Dinesh Manchanda & Ors. Vs. High Court of Delhi and Ors.', (iv) SLP (Civil) No. 22722/2016 titled 'Pratima Rani Gupta & Others Vs High Court of Delhi and Ors.' and (v) W.P.(C) No. 8016/2016 titled 'Atul Kumar Sharma Vs. Delhi High Court and Anr.' and also subject to the condition that in case as a result of implementation of above decisions, his seniority position is depressed, he will be liable to yield his position to the officer(s)/official(s) placed senior to him and in case no vacancy is available, he will stand reverted.

ANIL KUMAR KOUSHAL, Registrar (Estt.)

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, दिल्ली

अधिसूचना

दिल्ली, 25 अगस्त, 2021

सं.-मु.चु.अ./चु.सं./102(104)/2019/pt.file/14372.-निम्नलिखित को सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है :

भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय

आदेश

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 2021

सं. 76/भा.नि.आ./आदे./प्रा./उ0अनु0-11/दि0-वि0सभा/02/2020.—यतः, आयोग ने रा.रा.क्षे. दिल्ली के 02- बुराड़ी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए दिनांक 14.01.2020 की अपनी अधिसूचना के द्वारा विधानसभा के साधारण निर्वाचन आयोजित करने की घोषणा की थी और श्री धर्मवीर (शिव सेना) ने पूर्वोक्त निर्वाचन लड़ा था;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 (1) के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी, वह तिथि जब उसे नाम-निर्देशित किया गया है और उसके परिणाम की घोषणा की तिथि, दोनों तारीखें सम्मिलित, के बीच अपने द्वारा या अपने निर्वाचन एजेंट द्वारा उपगत या अधिकृत निर्वाचन संबंधी सभी खर्चों का, या तो स्वयं या अपने निर्वाचन एजेंट द्वारा, एक पृथक और सही लेखा रखेगा और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से तीस दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी को दर्ज करेगा जो धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा अथवा उसके निर्वाचन एजेंट द्वारा रखे गए लेखे की सत्य प्रतिलिपि होगी;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89(2) के अधीन मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पत्र सं. CEO/COE/102/(77)DLA-20/Scr.Rep/2020/37927 दिनांक 26.05.2020 के जरिए जिला निर्वाचन अधिकारी, केन्द्रीय जिला, रा.रा.क्षेत्र, दिल्ली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के 02- बुराड़ी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन

लड़ने वाले (शिव सेना) के अभ्यर्थी, श्री धर्मवीर विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, केन्द्रीय दिल्ली, रा.रा.क्षे. दिल्ली और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के तहत निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल न करने पर, श्री धर्मवीर को कारण बताओ नोटिस दिनांक 28.09.2020 को जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (6) के अनुसार, दिनांक 28.09.2020 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के माध्यम से, श्री धर्मवीर को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर लेख प्रस्तुत न कर पाने का कारण स्पष्ट करते हुए आयोग को लिखित में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें/अपने लेख में त्रुटियों को सही करें और उसे संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री धर्मवीर के घर के बाहर दिनांक 04.10.2021 और 06.10.2021 को 'चस्पा'दिए गए थे, क्योंकि दिए गए पते पर न तो वे स्वयं न ही उनका परिवार रहता मिला। दो पड़ोसियों से चस्पा रिपोर्ट की प्राप्त पावती एसडीएम(ई), केन्द्रीय दिल्ली द्वारा दिनांक 13.10.2020 के पत्र सं. DEO/C/75/E.Expenses/DLA-20/1150 द्वारा आयोग को प्रस्तुत कर दी गई थी।

और यतः, एसडीएम (ई), केन्द्रीय दिल्ली द्वारा दिनांक 04.08.2021 के अपने पत्र सं. DEO/C/75/E.Expenses/DLA-20/2931 के द्वारा प्रस्तुत अनुपूरक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि श्री धर्मवीर ने न तो कोई अभ्यावेदन दिया है और न ही मूल वाउचर्स सहित विधिवत रूप से हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय के सही लेख प्रस्तुत किए हैं। इसके अतिरिक्त, उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग के सम्यक् नोटिस की प्राप्ति के बाद भी उक्त असफलता हेतु न तो कोई कारण बताया न ही स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, भारत निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री धर्मवीर निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और असफलता के लिए उनके पास कोई समुचित कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या कानून के अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उसके पास उस असफलता के लिए कोई समुचित कारण या न्यायोचित्य नहीं है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित रहेगा;

अब इसीलिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा रा.रा.क्षेत्र दिल्ली के 02-बुराड़ी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, श्री धर्मवीर, निवासी-मकान न0-62/जी-14, ब्लॉक-एल. वेस्ट संत नगर, बुराड़ी, दिल्ली-110084 को संसद के किसी भी सदन या राज्य या संघ राज्य-क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद के लिए सदस्य चुने जाने या होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

आदेश से,

अजय कुमार, सचिव

आदेश द्वारा
अखिल कुमार, संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी

OFFICE OF THE CHIEF ELECTORAL OFFICER, DELHI

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th August, 2021

No.CEO/COE/102 (104)/2019/pt.file/ 14372.—The following is published for general information.—

SECRETARY OF THE ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 18th August, 2021

No.76/ECI/ORD/TERR/NS-II/DL-LA/02//2020.—WHEREAS, the Commission had declared to hold the General Election to the Legislative Assembly of NCT of Delhi from **02- Burari Assembly Constituency** vide its Notification dated **14.01.2020** and **Shri Dharam Veer (Shiv Sena)** had contested the aforesaid election;

AND WHEREAS, as per Section 77 (1) of the Representation of the People Act, 1951, every candidate at election shall, either by himself or by his election agent, keep a separate and correct account of all expenditure in connection with the election incurred or authorized by him or by his election agent between the date on which he has been nominated and the date of declaration of the result thereof, both dates inclusive & as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within thirty days from the date of election of the returned candidate lodge with the District Election Officer (DEO) account of his election expenses which shall be in a true copy of the account kept by him or by his election agent under Section 77.

AND WHEREAS, as per the report under rule 89(2) of the Conduct of Election Rules, 1961, submitted by the District Election Officer, Central District, NCT of Delhi through the Chief Electoral Officer's letter No. **CEO/COE/102/(77)/DLA-20/Scr.Rep/2020/37927 dated 26-05-2020, ShriDharam Veer** contesting candidate from **02- Burari Assembly Constituency** of NCT of Delhi, has failed to lodge an account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Central District Delhi, NCT of Delhi and the Chief Electoral Officer, Delhi, a Show Cause notice dated **28-09-2020** was issued by the Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to **Shri Dharam Veer** for non submission of account of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice dated **28-09-2020, ShriDharam Veer** was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses rectify the defects in his accounts and submit the same to the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was made to serve to **ShriDharam Veer from 04-10-2020, to 06-10-2020 through 'CHASPA'** as he himself or his family was not found residing at the given address. The Chaspas report acknowledgment receipt obtained from the two neighbour was submitted to the Commission by **SDM(E), Central** vide his letter **No. DEO/C/75/E. Expenses/DLA-20/1150 dated 13-10-2020.**

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by **SDM(E), Central Delhi** vide his letter **No. DEC/C/75/E. Expenses/DLA-20/2931 dated 04-08-2021** it has been stated that **Sh. Dharam Veer** has not submitted any representation or a statement of correct account of his election expenses, duly signed along with original vouchers. Further, he has neither furnished any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice of the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **Shri Dharam Veer** has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act; and
- (b) Has no good reason or justification for the failure the Election Commission shall by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the order;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Shri Dharam Veer**, resident of 62/G-14, Block -L, West Sant Nagar, Burari, Delhi 110084 the contesting candidate for the General Election to the Legislative Assembly of NCT of Delhi, 2020 from 02-Burari Assembly Constituency of the Union Territory of NCT of Delhi to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By Order,

AJOY KUMAR, Secy.

By Order

AKHIL KUMAR, Jt. Chief Electoral Officer, Delhi

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, दिल्ली

अधिसूचना

दिल्ली, 25 अगस्त, 2021

सं.—मु.चु.अ./चु.सं./102(104)/2019/pt.file/14373.—निम्नलिखित को सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है :

भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय

आदेश

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 2021

सं. 76/भा.नि.आ./आदे./प्रा./उ0अनु0-11/दि0-वि0सभा/02/2020.— यतः, आयोग ने रा.रा.क्षे. दिल्ली के 02- बुराड़ी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए दिनांक 14.01.2020 की अपनी अधिसूचना के द्वारा विधानसभा के साधारण निर्वाचन आयोजित करने की घोषणा की थी और श्री मनोज राय (आपकी अपनी पार्टी, पीपल्स) ने पूर्वोक्त निर्वाचन लड़ा था;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 (1) के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी, वह तिथि जब उसे नाम-निर्देशित किया गया है और उसके परिणाम की घोषणा की तिथि, दोनों तारीखें सम्मिलित, के बीच अपने द्वारा या अपने निर्वाचन एजेंट द्वारा उपगत या अधिकृत निर्वाचन संबंधी सभी खर्चों का, या तो स्वयं या अपने निर्वाचन एजेंट द्वारा, एक पृथक और सही लेखा रखेगा और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से तीस दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी को दर्ज करेगा जो धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा अथवा उसके निर्वाचन एजेंट द्वारा रखे गए लेखे की सत्य प्रतिलिपि होगी;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89(2) के अधीन मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पत्र सं. CEO/COE/102/(77)DLA-20/Scr.Rep/2020/37927 दिनांक 26.05.2020 के जरिए जिला निर्वाचन अधिकारी, केन्द्रीय जिला, रा.रा.क्षेत्र, दिल्ली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के 02- बुराड़ी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले (शिव सेना) के अभ्यर्थी, श्री मनोज राय विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, केन्द्रीय दिल्ली, रा.रा.क्षे. दिल्ली और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के तहत निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल न करने पर, श्री मनोज राय को कारण बताओ नोटिस दिनांक 28.09.2020 को जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (6) के अनुसार, दिनांक 28.09.2020 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के माध्यम से, श्री मनोज राय को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर लेखे प्रस्तुत न कर पाने का कारण स्पष्ट करते हुए आयोग को लिखित में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें/अपने लेखे में त्रुटियों को सही करें और उसे संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री मनोज राय के घर के बाहर दिनांक 04.10.2021 और 06.10.2021 को 'चस्पा' दिए गए थे, क्योंकि दिए गए पते पर न तो वे स्वयं न ही उनका परिवार रहता मिला। दो पड़ोसियों से चस्पा रिपोर्ट की प्राप्त पावती एसडीएम(ई), केन्द्रीय दिल्ली द्वारा दिनांक 13.10.2020 के पत्र सं. DEO/C/75/E.Expenses/DLA-20/1150 द्वारा आयोग को प्रस्तुत कर दी गई थी।

और यतः, एसडीएम (ई), केन्द्रीय दिल्ली द्वारा दिनांक 04.08.2021 के अपने पत्र सं. DEO/C/75/E.Expenses/DLA-20/2931 के द्वारा प्रस्तुत अनुपूरक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि श्री धर्मवीर ने न तो कोई अभ्यावेदन दिया है और न ही मूल वाउचर्स सहित विधिवत रूप से हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय के सही लेखे प्रस्तुत किए हैं। इसके अतिरिक्त, उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग के सम्यक् नोटिस की प्राप्ति के बाद भी उक्त असफलता हेतु न तो कोई कारण बताया न ही स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, भारत निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री मनोज राय निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और असफलता के लिए उनके पास कोई समुचित कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या कानून के अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

- (ख) उसके पास उस असफलता के लिए कोई समुचित कारण या न्यायोचित्य नहीं है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित रहेगा;

अब इसीलिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा रा.रा.क्षेत्र दिल्ली के **02-बुराड़ी** विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, **श्री मनोज राय, निवासी-मकान न0-26, टैगोर मार्ग, केवल पार्क, दिल्ली** को संसद के किसी भी सदन या राज्य या संघ राज्य-क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद के लिए सदस्य चुने जाने या होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

आदेश से,

अजय कुमार, सचिव

आदेश द्वारा
अखिल कुमार, संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी

OFFICE OF THE CHIEF ELECTORAL OFFICER, DELHI

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th August, 2021

No.CEO/COE/102 (104)/2019/pt.file/14373.—The following is published for general information.—

SECRETARY OF THE ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 18th August, 2021

No.76/ECI/ORD/TERR/NS-II/DL-LA02//2020.—WHEREAS, the Commission had declared to hold the General Election to the Legislative Assembly of NCT of Delhi from **02-Burari Assembly Constituency** vide its Notification dated **14.01.2020** and **Shri Manoj Rai (AapkiApni Party-Peoples)** had contested the aforesaid election;

AND WHEREAS, as per Section 77 (1) of the Representation of the People Act, 1951, every candidate at election shall, either by himself or by his election agent, keep a separate and correct account of all expenditure in connection with the election incurred or authorized by him or by his election agent between the date on which he has been nominated and the date of declaration of the result thereof, both dates inclusive & as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within thirty days from the date of election of the returned candidate lodge with the District Election Officer (DEO) account of his election expenses which shall be in a true copy of the account kept by him or by his election agent under Section 77;

AND WHEREAS, as per the report under rule 89(2) of the Conduct of Election Rules, 1961, submitted by the District Election Officer, Central District, NCT of Delhi through the Chief Electoral Officer's letter No. **CEO/COE/102/(77)/DLA-20/Scr.Rep/2020/37927 dated 26-05-2020, Shri Manoj Rai (AapkiApni Party- Peoples)**, contesting candidate from **02-Burari Assembly Constituency** of NCT of Delhi, has failed to lodge an account of his election expenses as required by law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Central District, NCT of Delhi and the Chief Electoral Officer, Delhi, a Show Cause notice dated **28-09-2020** was issued by the Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to **Shri Manoj Rai** for non submission of account of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice dated **28-09-2020, Shri Manoj Rai** was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same to the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was made to serveto **Shri Manoj Rai** from **04-10-2020 to 06-10-2020** through '**CHASPA**' as he himself or his family was not found residing at the given address. The Chaspareport acknowledgment receipt obtained from the two neighbours was submitted to the Commission by **SDM(E), Central** vide his letter **No. DEO(C)/75/E. Expenses/DLA-20/1150 dated 13-10-2020.**

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by **SDM(E), Central Delhi** vide his letter **No. No. DEO(C)/75/E. Expenses/DLA-20/2931 dated 04-08-2021**, it has been state that **Shri Manoj Rai** has not submitted

any representation or a statement of correct account of his election expenses, duly signed along with original vouchers. Further, he has neither furnished any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice of the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **Shri Manoj Rai** has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act; and
- (b) Has no good reason or justification for the failure the Election Commission shall by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the order;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declare **Shri Manoj Rai r/o House No. 26, Tagore Marg, Kewal Park, Delhi** the contesting candidate for the General Election to the Legislative Assembly of NCT of Delhi, 2020 from 02-Burari Assembly Constituency of NCT of Delhi to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By Order,
AJOY KUMAR, Secy.

By Order
AKHIL KUMAR, Jt. Chief Electoral Officer, Delhi